सुधा दुध, दुग्ध उत्पादों एवं अन्य सुधा उत्पादों के मुजफ्फरपुर प्लांट से मोतिहारी प्लांट/दु0शी0 केन्द्र, बेतिया तक परिवहन संवेदक हेतु निविदा प्रपत्र

(आवेदक का हाल के पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाएँ)

निविदा प्रपत्र सं0–01

(आवेदक द्वारा ऑफलाईन माध्यम से स्वयं भरा जायेगा)

निविदा प्रपत्र शुल्कः 1000/– रु0 मात्र (वापसी योग्य नहीं)

निविदा प्रपत्र प्राप्ति की तिथि	:	दिनांक 12.08.2025 से
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	:	दिनांक 23.082025
प्री–क्वालिफिकेशन बीड खोलने की तिथि	:	दिनांक 01.09.2025

1. आवेदित क्षेत्र का नाम : ....
2. वर्त्तमान पता : ....
3. स्थाई पता : ....
4. मोबाईल नम्बर : ....
5. आवेदित परिवहन क्षेत्र का नामः..........................
   6. निविदा प्रपत्र शुल्क की विवरणीः (यदि ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त की गई हो)
   क. निविदा प्रपत्र शुल्कः .... ख. बैंक का नामः ....
   ग. निर्गत करने वाली शाखा का नामः ....
   घ. बैंक ड्राफ्ट न0: .... च. दिनांक : ....
   (डी0डी0 संलग्न करें)
7. निविदा प्रपत्र शुल्क की विवरणी (यदि कार्यालय से प्राप्त किया गया है।
   क. निविदा प्रपत्र शुल्कः .... ख. मनी रसीद सं0: ....
   ग. दिनांक : .... (छायाप्रति संलग्न करें)

(इस पृष्ठ को प्री–क्वालिफिकेशन बीड प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है)

नोटः कृपया निविदा भरने से पूर्व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले।

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं
मुहर (यदि हो)

सुधा दूध, दुग्ध उत्पादों एवं अन्य सुधा उत्पादों के परिवहन संवेदक हेतु निविदा प्रपत्र

(आवेदक द्वारा ऑफलाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)

(हाल के पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाएँ)

प्री–क्वालिफिकेशन बीड (टेक्निकल बीड) प्रपत्र सं0–02

1. आवेदित विप0 क्षेत्र का नाम : ....

....

....

(कृपया उस आवेदित विप0 क्षेत्र का नाम लिखें जहॉ तक परिवहन कार्य के लिए परिवहन संवेदक नियुक्ति हेतु आवेदन दिया जा रहा है।

2. आवेदक का नाम : ....
3. फर्म (Firm) का नाम (यदि हो) : ....
4. फर्म की स्थिति : ....

(व्यक्तिगत फर्म / प्राईवेट लि0 कंपनी / अन्य)

5 वर्त्तमान पता : ....

6. स्थायी पता : ....
7. मोबांईल न0 : ....

(कृपया क्रम संख्या 05 एवं 06 में उल्लेखित पते से संबंधित दस्तावेजों की यथा–आधार कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट आदि का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

8. आवेदक का आधार कार्ड सं0 : ....

(कृपया आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)

9. पैन कार्ड नम्बर : ....

(कृपया पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)

10. जी.एस.टी नम्बर : ....

(कृपया जी.एस.टी. न0 का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)

11. एफ.एस.एस.ए.आई नम्बर : ....

(कृपया एफ.एस.एस.ए.आई का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।) यदि बना हुआ नहीं है तब नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व शाखा में जमा करना है।

12. शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम मैट्रिक पास) : ....

(कृपया शैक्षणिक योग्यता का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)

13. निविदा में आमत्रण हेतु अग्रधन राशि : ....

(आवेदनकर्त्ता निर्धारित अग्रधन की राशि 50,000.00 (पचास हजार) रु0 का डिमांड ड्राफ्ट जो **तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0** के नाम पर निर्गत एवं **भुगतेय मुजफ्फरपुर** में हो संलग्न करें।)

डिमांड ड्राफ्ट की विवरणी:

बैंक का नाम : ....

शाखा का नाम : ....

ड्राफ्ट सं0 : ....

राशि (रुपये में) : ....

14. निविदादाता का कार्य अनुभव: वर्ष: .... माह ....

(निविदादाता, दूध/दुग्ध उत्पाद/शीध्र खराब होने वाले उत्पाद/एफ.एम.सी.जी या समतुल्य उत्पादों के परिवहन कार्यो के अनुभवों की विवरणी दर्ज करेंगे।)

15. वर्त्तमान में किए जा रहे कार्य की विवरणी:–

फर्म का नाम/निविदादाता का नाम	कार्य शुरु करने का वर्ष	आवेदक के परिवहन कार्य से संबंधित विगत दो वित्तीय वर्ष का अलग–अलग न्युनतम सालाना टर्न ओवर 5 करोड़ रु0 होना चाहिए	
		2023-24	2024-25

16. व्यवसाय हेतु कार्यशील पूँजी की उपलब्धता (वाहन को छोडकर) न्युनतम : .... रु0।

(व्यवसाय हेतु न्यूनतम कार्यशील पूँजी न्युनतम रुप में रु0 5,00,000.00 होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा– फिक्सड डिपोजिट या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रुप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्न करें।

17. वर्त्तमान में निविदादाता के पास उपलब्ध आधारभूत संरचना की विवरणी:–

क. कार्यालय के लिए उपलब्ध स्थान (वर्गफीट में) : .... (हॉ/ना)

ख. कुल कर्मचारियों की सं0 (चालक/सहचालक/अन्य) : ....

....

....

....

(हॉ/ना)

ग परिवहन कार्य हेतु वाहनों की कुल सं0 एवं उनके प्रकार :–

वाहनों की कुल संख्या : ....

वाहनों का प्रकार : ....

(वाहन 05 वर्षों से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए)

वाहन स्वयं की है या अनुबंधित (विवरणी दें): ....

वाहन की मॉडल संख्या एवं पंजीयन संख्या (विवरणी दें): ....

....

वाहन की भार क्षमता (विवरणी दें): ....

वाहन छः तरफ से पफ इन्सुलेटेड/रेफ्रिजेरेटेड है या नहीं (विवरणी दें): ....

....

(वाहनों का इन्सुलेशन न्युनतम 1.60 इंच मोटा पफ मेटेरियल युक्त होना चाहिए)।

घ. वाहनों के सभी कागजात/प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्री–क्वालिफिकेशन बीड प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

नोटः 1. निविदादाता के लिए प्रपत्र में उल्लिखित सभी अनिवार्य शर्तों को पुरा करना आवश्यक है।

2. निविदा प्रक्रिया हेतु पात्रता पर विचार करने के लिए आवेदक सभी मांगी गई जानकारियों को सही–सही भरें तथा उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करेंगे।

3. निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एंव निविदा प्रपत्र को नहीं खोला जायेगा।

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निविदा प्रपत्र एवं संलग्नित दस्तावेज/प्रमाण पत्रों एवं उसकी छायाप्रति में दी गयी जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतया सत्य है तथा इसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है। मै इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी किसी भी समय मिथ्या/गलत पायी जाती है तब मेरे द्वारा दिये गये निविदा आवेदन को रद्द कर दिया जाए। मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को मूल प्रमाण पत्र के साथ सत्यापित किया जा सकता है। दी गई सूचना गलत पाए जाने पर एवं उसके लिए निविदा रद्द होने पर इसके लिए मैं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांक : .... एवं मुहर (यदि हो)

स्थान : ....

चेकलिस्ट

अनुलग्नक :– निशान √ लगावें

क्रम	विवरण	हाँ	नहीं
1)	निविदा शुल्क (1000/– रु0) का डी0डी0 (बैंक ड्राफ्ट) या मनी रसीद की छायाप्रति संलग्न करें। (निविदा प्रपत्र सं0–01 के कंडिका–06/07 में उल्लिखित)।	हाँ	नहीं
2)	अग्रधन राशि 50,000/– रु0 का डी0डी0 संलग्न है। (प्री–क्वालिफिकेशन के कंडिका 13 में उल्लिखित)	हाँ	नहीं
3)	जी0एस0टी0 न0 प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है। (प्री–क्वालिफिकेशन के कंडिका 10 में उल्लिखित)	हाँ	नहीं
4)	आधार कार्ड के प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है। (प्री–क्वालिफिकेशन के कंडिका 08 में उल्लिखित)	हाँ	नहीं
5)	पैन कार्ड के प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है। (प्री–क्वालिफिकेशन के कंडिका 09 में उल्लिखित)	हौ	नहीं
6)	क. वाहन के सभी आवश्यक कागजात/प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है। (प्री–क्वालिफिकेशन के कंडिका 17 (घ) में उल्लिखित)	हाँ	नहीं
	ख. अनुबंध पर लिए गए वाहन के लिए दोनों पक्ष द्वारा 1000/– रु0 के नन ज्युडिशियल स्टाम्प पर किए गए अनुबंध की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है (प्री–क्वालिफिकेशन के कंडिका 17 (ग) में उल्लिखित)	हाँ	नहीं
7)	अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है। (सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राईवेट कंपनी/अन्य संस्था जिसके लिए कार्य) किया गया हो। (शर्तें की कंडिका 17 में उल्लिखित)	हाँ	नहीं
8)	वित्तीय योग्यता के पक्ष में निविदादाता के खाते में न्युनतम 5,00,000/– रु0 (पॉच लाख रुपये) प्रदर्शित होने का प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें (प्री–क्वालिफिकेशन के कंडिका 16 एवं शर्तो की कंडिका 20.7 में उल्लिखित)	हाँ	नहीं
9)	1000/– रु0 के नन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर दिए गए शपथ की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न है। (शर्तो की कंडिका 20.8 में उल्लिखित)	हाँ	नहीं

निविदादाता का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–01

1. मुजफ्फरपुर डेयरी प्लांट से मोतिहारी प्लांट तक दूध, दुग्ध उत्पादों एवं अन्य सुधा उत्पादों के परिवहन कार्य की विवरणी–

क्र0 सं0	दूरी	वाहन का प्रकार	अनिवार्यता	अनुमानित सुधा दूध एव दुग्ध उत्पाद परिवहन (कि0ग्रा0 / ली0)	सुरक्षा राशि	बैंक गारंटी	कुल रुपये
1	लगभग 85 कि0मी0 (एक तरफ से)	टाटा–709 या समकक्ष	छः साईड पफ इंसुलेशन	लगभग 4000 कि0ग्रा0 से 5000 कि0ग्रा0 / ली0	9,00,000 (नौ लाख)	4,00,000 (चार लाख)	13,00,000 (तेरह लाख) इसमें बढोतरी भी की जा सकता है।

2. मुजफ्फरपुर डेयरी प्लांट से दु0 शी0 केन्द्र, बेतिया तक दूध, दुग्ध उत्पादों एवं अन्य सुधा उत्पादों के परिवहन कार्य की विवरणी–

क्र0 सं0	दूरी	वाहन का प्रकार	अनिवार्यता	अनुमानित सुधा दूध एव दुग्ध उत्पाद परिवहन (कि0ग्रा0 / ली0)	सुरक्षा राशि	बैंक गारंटी	कुल रुपये
1	लगभग 130 कि0मी (एक तरफ से)	टाटा–709 या समकक्ष	छः साईड पफ इंसुलेशन / वातानुकूलित वाहन	लगभग 3500 कि0ग्रा0 से 4500 कि0ग्रा0 / ली0	7,00,000 (सात लाख)	4,00,000 (चार लाख)	11,00,000 (ग्यारह लाख) इसमें बढोतरी भी की जा सकता है।

नोट: उपरोक्त राशि को संघ में डी0डी0 एवं बैंक गारंटी के रुप में जमा करना अनिवार्य है।
: जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
: डी0डी0, तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के नाम पर मुजफ्फरपुर में देय होगा।

तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, मुजफ्फरपुर
TIRHUT DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.,MUZAFFAPUR
AN ISO 22000:2005 & HACCP SYSTEM CERTIFIED
ORGANISATION, P.O.-KOLHUA PAIGAMBARPUR, MUZAFFARPUR-843108(BIHAR)
Email: timulmarketing@gmail.com, www.sudhatimul.in

COMFED

परिवहनकर्त्ता हेतु प्रपत्र

वित्तीय / प्राईस बीड
(कृपया मूल प्रति में ही बीड भरें एवं जमा करें)

(1) क्षेत्र का नाम (जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है) :–
(2) आवेदक का पूरा नाम :–

(3) **सुधा उत्पादों के परिवहन कार्य हेतु पफ मेटेरियलयुक्त इंसुलेटेड वाहन का दर (मुज0 डेयरी से मोतिहारी प्लांट तक)**

क. उक्त कार्य करने हेतु न्यूनतम परिवहन दर प्रति लीटर / प्रति कि0ग्रा0 रू0 .... पै0 ....
(शब्दों में) प्रति लीटर / प्रति कि0ग्राम रू0 .... पैसे .... ।

सुधा उत्पादों के परिवहन कार्य हेतु पफ मेटेरियलयुक्त इंसुलेटेड वाहन का दर (मुज0 डेयरी से दु0शी0केन्द्र बेतिया तक)

(ख) उक्त कार्य करने हेतु न्यूनतम परिवहन दर प्रति लीटर / प्रति कि0ग्रा0 रू0 .... पै0 ....
(शब्दों में) प्रति लीटर / प्रति कि0ग्राम रू0 .... पैसे .... ।

सुधा उत्पादों के परिवहन कार्य हेतु रेफ्रिजेरेटेड वाहन का दर (मुज0 डेयरी प्लांट से दु0शी0 केन्द्र बेतिया तक)

(ग) उक्त कार्य करने हेतु न्यूनतम परिवहन दर प्रति लीटर / प्रति कि0ग्रा0 रू0 .... पै0 ....
(शब्दों में) प्रति लीटर / प्रति कि0ग्राम रू0 .... पैसे .... ।

-----सत्यापन-----

मैं / हम घोषणा करता / करती हूँ कि जो भी सूचना मेरे द्वारा प्रपत्र में अंकित की गई है वह हमारी जानकारी में सत्य है । अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना / जानकारी असत्य साबित पायी जाती है तब मेरी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायगी जिसके लिए केवल मैं जिम्मेवार होउँगा / होउँगी।

स्थान :–

निविदादाता का हस्ताक्षर
(ऑफिस मुहर के साथ)

दिनांक :–

नोटः– इस प्रपत्र को अलग लिफाफा में भरकर जमा करें ।

: **मोतिहारी के लिए केवल पफ इंसुलेटेड वाहन का दर डालना है जबकि बेतिया के लिए पफ इंसुलेशन के साथ–साथ रेफ्रिजेरेटेड वाहन का भी दर डालना है। तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, मुजफ्फरपुर डेयरी मुजफ्फरपुर इस बात के लिए स्वतंत्र होगी कि बेतिया तक सुधा उत्पादों के परिवहन के लिए किस तरह के वाहन (पफ इंसुलेटेड / रेफ्रिजेरेटेड) का चयन करें एवं उसके लिए निविदा के माध्यम से अंकित किए गए निम्न दर को स्वीकार करें इसमें निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।**

निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारियॉ, नियम एवं शर्तें:–

1. निविदादाता, निविदा भरने के पूर्व सभी जानकारी, दिशा–निर्देश, निविदा के नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लें।
2. सुधा दूध, दुग्ध जन्य पदार्थों यथा दही, पनीर, लस्सी, रसगुल्ला, गुलाबजामुन, रसकदम, चमचम, घी, मक्खन, बालुशाही, पेड़ा व अन्य मिठाईयों के साथ–साथ अन्य सुधा उत्पादों के परिवहन कार्य के लिए परिवहन संवेदक नियुक्ति हेतु खुली निविदा का विज्ञापन प्रकाशन, आमंत्रण व आवंटन की प्रक्रिया तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 (तिमुल) द्वारा संपादित की जायेगी।
3. निविदा प्रपत्र तिमुल के वेबसाईट **www.sudhatimul.com** पर ऑनलाईन एवं तिमुल मुख्यालय के विपणन शाखा में बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा। **वेबसाईट से प्रपत्र लेने पर 1000/– रु0 का डी0डी0 तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के नाम पर जो मुजफ्फरपुर में देय होगा आवदेन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है या तिमुल कार्यालय से 1000/– रु0 का नकद भुगतान कर निविदा प्रपत्र प्राप्त करना होगा जिसका M.R आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।**
4. इच्छुक निविदादाता विहित प्रपत्र में ऑफलाईन माध्यम से आवेदन दे सकते है। निविदादाताओं को दूध/दुग्ध उत्पाद/शीध्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों अथवा एफ.एम.सी.जी उत्पादों के परिवहन कार्य का न्यूनतम **तीन वर्ष का अनुभव** होना अनिवार्य है।
5. परिवहन क्षेत्र की सूची निविदा प्रपत्र में संलग्न है। निविदादाता एक से अधिक परिवहन क्षेत्र हेतु अलग–अलग आवेदन दे सकते है, परंतु एक से अधिक क्षेत्रों में सफल पाये जाने पर उन्हें किसी एक ही क्षेत्र में परिवहन कार्य हेतु परिवहन संवेदक नियुक्त किया जा सकता है।
6. निविदादाता निविदा प्रपत्र में मॉगी गयी सभी जानकारियों का पूर्ण ब्यौरा भरकर एवं संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति को संलग्न करेंगे। निविदा प्रपत्र में प्री–क्वालिफिकेशन बीड एवं वित्तीय बीड प्रपत्र अलग–अलग संलग्न है जिसे अलग'अलग लिफाफे में रख कर पुरी तरह बंद कर उसके उपर तकनीकी बीड/वित्तीय बीड के साथ नाम, पता, मोबईल न0, आवेदित क्षेत्र का नाम लिखना अनिवार्य है। प्री–क्वालिफिकेशन बीड एवं वित्तीय बीड वाले लिफाफे को तीसरे बड़े लिफाफे में डाल कर उसे पूरी तरह बंद कर उस पर सुधा उत्पादों के परिवहन हेतु निविदा, आवेदित क्षेत्र का नाम, आवेदक का नाम, पता, मोबाईल न0 इत्यादित लिखकर निम्न पते पर निर्धारित अवधि के अन्दर /रजिटर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर /स्वयं के द्वारा भी तिमुल के स्थापना शाखा में जमा कराया जा सकता है–

   पता:– **प्रबंध निदेशक**
   तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,
   पो0– कोल्हुआ पैगम्बरपुर
   जिला–मुजफ्फरपुर –843108 (बिहार)
7. निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. सशर्त, एवं ई–मेल द्वारा भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. प्रबंध निदेशक तिमुल को निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों/निविदा प्रपत्र को आंशिक या पूर्णतः निरस्त करने/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा जिसमें निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
10. निविदा खोलने की तिथि के दिन यदि अवकाश घोषित हो तो निविदा अवकाश के बाद के कार्यालय दिवस के दिन खोली जायेगा।

11. निविदा के खुलने के समय निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि शामिल हो सकते है। अधिकृत प्रतिनिधि के शामिल होने की स्थिति में प्रतिनिधि को निविदादाता द्वारा निर्गत अधिकृत पत्र निविदा खोलने के पूर्व जमा करना होगा।
12. चयनित निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र तिमुल के नामित पदाधिकारी /गठिट कमिटि को दिखाना होगा।
13. अंतिम रुप से चयनित निविदादाता को कॉम्फेड द्वारा औपबंधिक कार्यादेश Letter of Award (LOA) निर्गत किया जायेगा। चयनित निविदादाता को कार्य करने के पूर्व निर्धारित सुरक्षा राशि जमा करना, अनुबंध की प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा।
14. परिवहन संवेदक नियुक्ति प्रत्र निर्गत होने एवं एकरारनामे के उपरांत भी यदि पात्रता मापदंड के संबंध में प्रस्तुत दावों/कागजातों के विपरित कोई विसंगतियॉ पाई जाती है तो इस स्थिति में कार्यादेश को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है।
15. परिवहन संवेदक को तिमुल के साथ रु0 1000/– के नन् ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा। अनुबंध का प्रारुप तिमुल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
16. निविदा प्रपत्र में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए सुधा परिवहन संवेदक की नियुक्ति एवं संचालन की अवधि प्रथम बार में तीन वर्ष के लिए होगी। कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के अन्दर प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा एवं प्रत्येक वर्ष कार्य संतोषजनक पाए जाने पर एकरारनामा का नवीकरण किया जाएगा। परिवहन कार्य मूल्यांकन में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एकरारनामा निरस्त करते हुए कार्यादेश रद्द कर दिया जाएगा। तीन वर्ष के पश्चात्, सफलतापूर्वक परिवहन कार्य संचालन एवं मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक बार तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य विस्तार किया जा सकता है परिवहन कार्य की अवधि एकरारनामा संपादित होने की तिथि से मान्य होगी।
17. निविदादाता को दूध/दुग्धजन्य पदार्थ/शीध्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों अथवा एम.एम. सी.जी. उत्पादों के परिवहन कार्य के क्षेत्र में **न्यूनतम तीन वर्ष के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है,** (निविदादाता के कार्य अनुभव के सत्यापन हेतु दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
18. निविदादाता जो सुधा उत्पादों के प्रतिस्पर्धी ब्रांड के उत्पादों के परिवहन/वितरण में शामिल है, सुधा उत्पादों के परिवहन संवेदक हेतु डाली गई उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. <u>पात्रता मापदंड:–</u>

20.1 शैक्षणिक योग्याता :– न्यूनतम मैट्रिक पास (प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।

20.2 उम्र:– निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम–18 वर्ष होना चाहिए (मैट्रिक पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर उम्र की गणना की जायेगी)।

20.3 पैन कार्ड न0:– ....
(कृपया पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) अनिवार्य है।

20.4. जी.एस.टी नम्बर : ....
(कृपया जी.एस.टी का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) अनिवार्य है।

20.5 आधार कार्ड सं0: : ....
(कृपया आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) अनिवार्य है।

20.6 **<u>अग्रधन राशि:–</u>** निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ अग्रधन की राशि रु0 50,000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, के नाम से मुजफ्फरपुर में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक को प्रत्येक विपणन क्षेत्र हेतु अग्रधन राशि का बैंक ड्रफ्ट आवेदन के साथ अलग–अलग संलग्न करना अनिवार्य है।

20.7 **<u>वित्तीय योग्यता:–</u>** (व्यवसाय हेतु निविदादाता के पास न्यूनतम राशि वाहनों को छोड़कर रु0 5,00,000/– (पॉच लाख) होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो यथा– फिक्सड डिपोजिट बचत खाता/चालू खाता में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक के स्वयं के खाते में रु0 5,00,000/– की राशि जमा रहने का प्रमाण (पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, खाता सं0 दर्ज हो तथा संबंधित पृष्ठ जिसमें राशि जमा रहने का प्रमाण अंकित हो) या संबंधित बैंक
द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रुम में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

20.8 निविदादाता को रु0 1000.00 के नन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके या उनके फर्म को किसी भी संस्था (सरकारी/गैर सरकारी/अर्द्ध सरकारी) द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है एवं उनके उपर किसी तरह का अपराधिक मामला दर्ज नहीं है। यदि ऐसा हुआ तब वैसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति/फर्म या उनके परिवार के सदस्य इस निविदा में हिस्सा नहीं ले पाएँगे। उनके द्वारा डाले गए निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

21. **पात्रता मानदंड के तहत बिन्दु सं0–20.1 से 20.8 तक अनिवार्य सभी पात्रता मानदंड शर्तों को पुरा करना होगा।** शर्तों को पूरा नहीं करने पर आवेदक को असफल घोषित करते हुए उनकी निविदा को रद्द कर दी जायेगी।

22. तिमुल द्वारा अग्रधन राशि एवं सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार ब्याज देय नहीं होगा।

23. असफल निविदादाता को अग्रधन की राशि रु0 50,000/– परिवहन संवेदक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी जिस पर क़िसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

24. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में उल्लेख किए गए आधारभूत संरचनाओं की जॉच व समीक्षा गठित कमिटि सदस्यों द्वारा की जायेगी। जॉच एवं समीक्षा के उपरांत ही कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

25. यदि कोई चयनित निविदादाता औपबन्धिक कार्यादेश Letter of Award (LOA) निर्गत होने के उपरांत कार्य करने से मना करते है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि रु0 50,000.00 (पचास हजार) जब्त कर ली जाएगी।

26. अंतिम रुप से चयनित निविदादाता को औपबन्धिक कार्यादेश Letter of Award (LOA) निर्गत होने के उपरांत कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सुरक्षा राशि जो क्षेत्रवार तय है ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रुप में तिमुल मुजफ्फरपुर के कार्यालय में जमा करना होगा। चयनित निविदादाता द्वारा निविदा के साथ संलग्न की गयी अग्रधन की राशि रु0 50,000/– (पचास हजार) को सुरक्षा राशि में समायोजित कर ली जायेगी एवं शेष बचे रुपये चयनित निविदादाता को जमा करना होगा।

27. चयनित निविदादाता को परिवहन कार्य शुरु करने के पूर्व संघ के साथ एकरारनामा संपादित करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा का प्रारुप तिमुल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

28. निविदादाता एक से अधिक परिवहन क्षेत्र हेतु आवेदन दे सकते है। एक से अधिक परिवहन क्षेत्र के लिए आवेदन करते समय निविदादाता को परिवहन क्षेत्र निविदा प्रपत्र, अग्रधन की राशि एवं आवश्यक सभी कागजातों को प्रत्येक आवेदित क्षेत्र के अनुरुप अलग से संलग्न करने होंगे। परंतु निविदादाता को अंतिम रुप से किसी एक वितरण क्षेत्र का परिवहन संवेदक नियुक्त किया जाएगा।

29. निविदादाता को पैन नं0, आधार कार्ड, एफ.एम.एस.ए.आई की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।

30. निविदादाता के पास परिवहन संवेदक के कार्य संपादन हेतु उपलब्ध रेफ्रीजेरेटेड/इन्सुलेटेड गाड़ियों की संख्या व उनकी क्षमता, विवरणी स्पष्ट रुप से आवेदन फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य होगा।

31. सामान्यतः दूध, दुग्ध उत्पादों एवं अन्य सुधा उत्पादों की डिलिवरी मुजफ्फरपुर डेयरी प्लांट से संध्या 4:00 बजे से 12:00 बजे रात्रि के मध्य की जाएगी (आवश्यकतानुसार समय में परिर्वतन किया जा सकता है)। सड़क मार्ग अवरुद्ध रहने तथा मशीनों की खराबी के कारण प्रोडक्ट की डिलेवरी के समय में परिवर्त्तन हो सकता है जो आपको मान्य होगी।

32. प्रोडक्ट के समुचित रख–रखाव में कमी तथा कोल्ड चेन मेन्टेन नही करने की स्थिति में दूध/दुग्ध उत्पाद खराब होने पर उसकी सारी जवाबदेही संबंधित परिवहन संवेदक की होगी एवं उसकी क्षतिपूर्ति परिवहन संवेदक के विपत्र से की जाएगी।

33. परिवहन कार्य से संबंधित सभी वैधानिक शर्ते पूरी करने की जिम्मेवारी परिवहन संवेदक की होगी। जीएसटी का भुगतान सेल्स टैक्स/संबंधित विभाग में नहीं करने की दशा में तिमुल यह राशि काटकर/समायोजित कर संबंधित विभाग को भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगी।

34. वितरण कार्य आरंभ होने से पहले तिमुल द्वारा परिवहन संवेदक द्वारा तैयार किये गये अथवा घोषित किये गये आधारभूत संरचना यथा– इन्सुलेटेड गाड़ियॉ/वातानुकुलित गाड़ियॉ कार्यालय की स्थिति की जॉच की जा सकती है जॉचोपरांत उसमें बदलाव व सुधार हेतु बताये गये बिन्दुओं पर चयनित परिवहन संवेदकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करना अनिवार्य होगा।

35. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन पर तिमुल द्वारा किए गए डिजाईन के अनुसार पेंटिंग कराया जाएगा। पेंटिंग पर होने वाले व्यय को परिवहन संवेदक द्वारा भी वहन किया जाएगा।

36. **परिवहन संवेदक को परिवहन कार्य हेतु लगने वाले टॉल टैक्स एवं दुग्ध उत्पादों पर टी.एल (Transit Loss) देय नहीं होगा।**

37. यदि किसी परिवहन संवेदक द्वारा आवंटित क्षेत्रों में सुधा दूध/दुग्ध उत्पाद की आपूर्ति नहीं की जाती है तब संबंधित परिवहन संवेदक को चेतावनी पत्र या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है।

38. निम्नलिखित कारणों से कार्य समाप्ति के साथ–साथ अनुबंध/एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है:–
    - ख. यदि परिवहन संवेदक सुधा उत्पादों के परिवहन के अतिरिक्त अन्य उत्पादों का परिवहन करते हुए पाये जाते है।
    - ग. यदि परिवहन संवेदक/उनके कर्मी द्वारा तिमुल के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।
    - घ. यदि परिवहन कार्य को उप–पट्टे पर दिया जाता है।
    - च. यदि आवंटित क्षेत्र मे सुधा उत्पादों का परिवहन बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया जाता है।

39. परिवहन संवेदक द्वारा परिवहन कार्य सरेंडर करने की स्थिति में तिमुल को तीन महीने की अग्रिम नोटिस देनी होगी। तिमुल को परिवहन कार्य समाप्त करने हेतु भी परिवहन संवेदक को तीन महीने पूर्व नोटिस देना होगा परंतु विशेष परिस्थिति में तिमुल परिवहन संवेदक के साथ हुए समझौते को बिना अग्रिम नोटिस दिये तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

40. अगर परिवहन संवेदक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के परिवहन का कार्य बंद कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में परिवहन संवेदक द्वारा जमा की गयी सुरक्षा राशि को तिमुल द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

41. परिवहन कार्य समाप्ति की स्थिति में परिवहन संवेदक को तिमुल द्वारा प्रदत किये गये सभी संपत्तियों यथा डीपफ्रीजर, इन्सुलेटेड बॉक्स आदि को वापस करना होगा। परिवहन संवेदक द्वारा इन संपत्तियों को वापस नहीं किये जाने पर परिवहनक संवेदक से उसकी जमा की गयी सुरक्षा राशि से कटौती कर ली जायेगी।
42. किसी भी विवाद की स्थिति मे संबंधित सभी पक्षों द्वारा आपस में बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाया जायेगा। बातचीत से समाधान नहीं होने की स्थिति में विवाद का निपटारा कानून में निहित प्रावधानों के अनुरुप होगा। कानूनी मामलो की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर होगा।
43. परिवहन वाहन दूध एवं दुग्ध उत्पादों के भार/क्षमता के अनुरुप होगी।
44. वाहन में GPS कार्यरत होना चाहिए।
45. डिस्पैच डॉक पर लोडिंग एवं अंतिम बिंदु पर Unloading कराने की जवाबदेही परिवहन संवेदक की होगी।
46. सुधा दूध/दुग्ध उत्पादों एवं अन्य सुधा उत्पादों के परिवहन के क्रम में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी पूरी जिम्मेवारी परिवहन संवेदक की होगी एवं सुधा उत्पादों की क्षतिपूर्ति संबंधित संवेदक से की जाएगी।
47. वाहन खराब होने की स्थिति में यथाशीध्र वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी परिवहन संवेदक की होगी अन्यथा अन्य वैकल्पिक साधनों द्वारा आपूर्ति कराने की स्थिति में उसका पूरा खर्च परिवहन संवेदक को वहन करना होगा।
48. यदि परिवहन संवेदक/उनके कर्मियों द्वारा जानबुझकर परिवहन कार्य में विलंब किया जाता है तब उससे होने वाले नुकसान की भरपाई परिवहन संवेदक से की जाएगी।
49. दूध/दुग्ध उत्पादों के मांग में वृद्धि होने पर अतिरिक्त वाहन लगाना अनिवार्य होगा।
50. डीजल दर में न्युनतम 3/– प्रति लीटर बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी होने पर वाहन की भार क्षमता एवं परिवहन कार्य हेतु तय की जाने वाली दूरी को देखते हुए देय परिवहन दर में परिवर्त्तन हेतु विचार किया जा सकता है परंतु यह परिवहन कार्य प्रारंभ करने के न्युनतम एक वर्ष के पश्चात् मान्य होगा।
51. पर्व–त्योहारों/शादी–ब्याह में सुधा उत्पादों के मांग में परिवर्त्तन संभव है।
52. लिविदा प्रपत्र परिशिष्ट–01 में उल्लिखित दूध/दुग्ध उत्पादों की निर्धारित मात्र में आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन संभव है।
53. पिछले दो साल में किए गए परिवहन कार्य का टर्न ओवर न्युनमत सालाना 5 करोड होना आवश्यक है।

निविदादाता का हस्ताक्षर